



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 595]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 13, 2013/फाल्गुन 22, 1934

No. 595]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 2013/PHALGUNA 22, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2013

का.आ. 682(अ).— यतः केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.386 (अ), तारीख 16 फरवरी, 2010 द्वारा उत्तरप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के 262.00 किमी से 413.000 किमी (बरेली-सीतापुर सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा उत्तरप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 पर 325.00 किमी पर शाहजहाँपुर पुल (गरराह नदी पुल) के उपयोग हेतु नीचे सारिणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर 16.30 करोड़ रुपये की लागतवाले पुल के उपयोग के लिए सारिणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर ( जिसे इसमें इसके पश्चात् "दर" संदर्भित किया गया है) पर 01.04.2013 से शुल्क उद्ग्रहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क का संग्रहण करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात्:

## सारणी-1

(01.04.2013 से प्रभावी)

वाहन का प्रकार	प्रति एकल यात्रा के लिए शुल्क की दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	5
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	10
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	15
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	15
भारी संनिर्माण मशीन (एससीएम.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (इएमइ) अथवा बहुधुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	15
बड़े आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी वाले )	15

## टिप्पणियां:

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा(प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लागत रूपए में जिसके लिए शुल्क संदेय है
शाहजहाँपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग- 24 पर 325.00 किमी	16.30 करोड़

2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन और गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2012-13 के लिए मासिक पास की दर 200.00 रूपए (दो सौ रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

3. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात्:

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो - तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

4. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।
5. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
6. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।
7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।
8. यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा, तथा उसे तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।
9. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 16.30 करोड़ रुपये हैं। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए गए शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक रूप से संशोधन किया जाएगा।
10. पुल के उपयोग हेतु शुल्क की दर वही होगी जो उक्त नियमों के प्रारम्भ से पहले लागू थी, और इसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार संशोधन किया जाएगा ।
11. शुल्क की दरों में वृद्धि किसी भी हालत में इससे ठीक पहले के वर्ष में लागू शुल्क की दरों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

[फा. सं. भाराराप्र/13013/सीओ प्रभाग/11-12/शाहजहांपुर]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th March, 2013

**S.O. 682(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport & Highways number S.O 386 (E) dated 16th February, 2010, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 262.00 to Km 413.000 (Bareilly-Sitapur section) of National Highway No. 24 in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time ( hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee with effect from 01.04.2013 at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for use of Bridge costing Rs. 16.30 crore (hereinafter referred to as "rate") on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below, for the use of the Shahjahanpur bridge [Garrah river bridge] at km 325.00 on NH-24 in the state of UP and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

**TABLE-1**

(w.e.f 01.04.2013)

Type of vehicle	Fee rate for single trip (In Rs.)
(1)	(2)
Car , jeep, Van or Light Motor Vehicle	5
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	10
Bus or Truck ( Two axle)	15
Three- axle commercial vehicles	15
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (4 to 6 axle)	15
Oversized Vehicles (seven or more axles)	15

**Notes: -**

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza:

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Cost (in Rupees Crore) for which fee is payable
Km 325.00 on NH-24 in the district of Shahjahanpur.	16.30 crore

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 200.00 (Rupees Two Hundred only) for the year 2012-13 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

3. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National Permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

8. The actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

1060 GI/13-2

9. The estimated capital cost of the project is Rs. 16.30 Crores. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

10. The rate of fee for use of bridge shall be the same as applicable prior to the commencement of said rules, and, shall be revised in accordance with the provisions of rule 5 of the said rules.

11. The increase in the rates of fee shall in no case be more than twenty-five percent of the rates of fee applicable in the immediately preceding year.

[F. No. NHAI/13013/CO Division/11-12/Shahjahanpur]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.